



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 686]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2006/आषाढ़ 9, 1928

No. 686]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2006/ASADHA 9, 1928

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2006

का.आ. 984(अ).—राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) की धारा 3 के अनुसरण में भारत सरकार, एतद्वारा श्रीमती मंजू स्नेहलता हेमरम, 703, गंगा अपार्टमेंट कौशम्बी, गाजियाबाद (उ.प्र.) को राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली की सदस्यता के रूप में नामित करती है। श्रीमती मंजू स्नेहलता हेमरम अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगी।

[सं 9-15/2005-डब्ल्यू.डब्ल्यू.]

चमन कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD
DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2006

S.O. 984(E).— In pursuance of Section 3 of the National Commission for Women Act, 1990 (20 of 1990) the Central Government hereby nominates Mrs. Manju Snehlata Hembrom, 703, Ganga Appartment Kaushambi, Ghaziabad (U.P.), as a Member of National Commission for Women, New Delhi. Mrs. Manju Snehlata Hembrom, shall hold office for a period of three years from the date of assumption of charge of office or until further orders, whichever is earlier.

[No. 9-15/2005-WW]

CHAMAN KUMAR, Jt. Secy.